राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2936/2024

सुखदेव भास्कर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रानी जी की बावड़ी पंचायत समिति झोटवाड़ा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.09.2024
आदेश की दिनांक : 24.09.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश कुमार मीणा, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सीकर के आदेश दिनांक 30.03.1993 (अनुलग्नक–1) द्वारा राजस्थान शिक्षा अधिनियम सेवा राजस्थान सेवा नियम 20 के अंतर्गत चयनित अध्यापक पद पर तृतीय वेतन श्रृखला रूपये 1200/–2050 में नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने जिला शिक्षा अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 30.03.1993 की पालना करते हुये दिनांक 06.04.1993 (अनुलग्नक–2) द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूलाना (बाय) सीकर में अध्यापक पद पर कार्य ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.05.1993 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रुलाना (बाय) से कार्यमुक्त कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सीकर द्वारा दिनांक 26.06.1993 (अनुलग्नक–4) द्वारा पुनः नियुक्ति आदेश निकाला गया। अपीलार्थी ने जिला शिक्षा अधिकारी सीकर द्वारा आदेश दिनांक 26.06.1993 एवं दिनांक 30.03.1993 की पालना करते हुये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रुलाना (बाय) में पुनः दिनांक 02.07.1993 (अनुलग्नक–5) द्वारा कार्य ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.07.1993 से मानी गयी जो कि प्राकृतिक सिद्धान्तो के विरूद्ध थी और अपीलार्थी की प्रथम ए सी पी 10 वर्षीय दिनांक 02.07.

2003 एवं द्वितीय एसीपी 2.07.2011 को मानी गयी (अनुलग्नक–6 एवं 7)। अपीलार्थी का स्थाईकरण एव परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर दिनांक 06.04.1995 से स्थायीकरण किया गया (अनुलग्नक–8)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27/28.06.2008 (अनुलग्नक–9) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रुलाना पंचायत समिति दातारामगढ सीकर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय रानी जी की बावडी पंचायत समिति झोटवाडा किया गया। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण होने पर दिनांक 02.07.2008 (अनुलग्नक–10) द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय रानी जी की बावडी झोटवाडा जयपुर मे कार्य ग्रहण कर लिया। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एक सिविल रिट याचिका 11147/2020 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2020 (अनुलग्नक–11) के अंतर्गत उक्त प्रकरण अपीलार्थीयों को प्रथम नियुक्ति के समय ही मानकर उनको सभी लाभ परिलाभ दिये गये उक्त याचिका का 11147/2020 की तरह समान प्रार्थी का प्रकरण है। अतः अपीलार्थी भी उपरोक्त याचिका के अनुसार सभी लाभ परिलाभ दिया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट याचिका 11147/2020 में पारित निर्णय 12.11.2020 की पालना में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जालोर के द्वारा एक आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–12) पारित किया गया, जिसमें पीटिशनरों को सभी परिलाभ व ग्रीष्मकाल का वेतन व वरिष्ठता एव पदोन्नती इत्यादि का लाभ दिया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को दिनांक 02.07.1993 के स्थान पर प्रथम नियुक्ति तिथि 06.04.1993 से मानते हुये चयनित वेतनमान सहित समस्त परिलाभ दिये जाये एवं वर्ष 1993 का ग्रीष्मकालीन वेतन भी दिया जाये। साथ मे अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति तिथि व प्रथम कार्यगृहण तिथि 06.04.1993 से वरिष्ठता एवं पदोन्नति इत्यादि व सभी का परिलाभ दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन

प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य